

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह
जामडोली, केमवे गोल्फ रिसोर्ट के सामने आगरा रोड़, जयपुर
निविदा फार्म (बोली डाटा शीट) ई मेल:-jaipurmrhome@gmail.com
निविदा फार्म

1. सुरक्षा व्यवस्था के लिये निविदा
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता.....
.....मोबाईल नं.
3. सन्दर्भ निविदा सूचना क्रमांक 04/2015-16 दिनांक
4. निविदा शुल्क की राशि रु. 200/- नकद रसीद संख्या.....दिनांक.....
के द्वारा जमा करवा दी गयी है।
5. हमअधीक्षक मानसिक विमंदित गृह द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या 4 दिनांकमें वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट(इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

क्र. सं.	वस्तुओं/ कार्य का नाम मय विनिर्देशों के	मासिक दर	अन्य	कुल मासिक राशि	वि.विवरण
1.	जॉब बेसिस पर सुरक्षा कार्य व्यवस्था विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह एवं उसके परिसर की				सुरक्षा कार्य 24 घण्टे किया जावेगा जिसमें अधीक्षक द्वारा निर्धारित मात्रा में महिला एवं पुरुष मैन पावर लगायी जायेगी।

6. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से 7 दिवस की अवधि के भीतर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।
7. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र/दस्तावेज में कोई त्रुटि/असत्यता पाई जावेगी तो विभाग को निविदा अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
8. बयाना राशि रुपये 12000/-अक्षरे बारह हजार मात्र के पेटे बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक संख्या.....जो बैंक का नाम.....पर आहरित किया गया है/नकद रसीद संख्या...../चालान संख्या.....और दिनांक.....रुपये.....संलग्न है।

✓ नरेश शर्मा

9. इस के साथ आयकर विवरणी प्रस्तुत करने का विवरण पत्र प्रस्तुत है।

1. आयकर रथाई खाता संख्या.....
2. सर्विस टैक्स पंजीयन संख्या..... दिनांक.....
3. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण (प्रमाण पत्रों की पंक्ति संलग्न करें)
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.

निविदादाता देने वाले के हस्ताक्षर मय नाम

नई-२ कम म

प्रतिबन्ध एवं शर्तें

टिप्पणी:-निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहियें तथा अपनी निविदायें भेजते समय इनका पूर्ण रूपेण पालन करना चाहियें।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहर बन्द लिफाफे में बन्द करना चाहियें।
2. निविदा प्रपत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है उसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा:-
 - i श्रम विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र
 - ii अनुभव प्रमाण पत्र
 - iii सेवाकर पंजीयन प्रमाण पत्र
 - iv बयाना राशि
 - v पेन कार्ड की छाया प्रति
3. व्यक्ति/संस्था/फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदाओं पर क्रय समिति द्वारा विचार किया जावेगा। इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।
4. ठेकेदार को अनुमानित लागत रु 600000/- का 2 प्रतिशत राशि रु 12000/- बयाना राशि (अर्नेस्टमनी) नगद/ बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैंक के द्वारा अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह के नाम निविदा पत्र के साथ जमा करानी होगी। बिना बयाना राशि जमा कराये निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. फर्म को किसी राजकीय कार्यालयों, अर्द्धशासकीय कार्यालयों, छात्रावास या चिकित्सालय भवनों या प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव हो। जिसका प्रमाण पत्र, संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
6. फर्म आदि के गठन को किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में अनुबन्धित फर्म/ संस्था द्वारा दी जावेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा। संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तक स्वीकार तक स्वीकार नहीं किया जावेगा। जबकि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृत के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए प्रर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगी।
7. निविदादाता द्वारा दरे उचित स्थान पर अंको एवं शब्दों दोनों में लिखनी चाहिये। निविदा के प्रत्येक पृष्ठ एवं काट छांट पर निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर किए जाने पर अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र स्याही या टंकण से भरा जावे।
8. मोहर बंद निविदा प्रपत्र मय बयाना (अर्नेस्टमनी) राशि 12000/- (अक्षरे बारह हजार मात्र) दिनांक 21.01.2016 को दोपहर 1:00 बजे तक अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह जयपुर के कार्यालय में रखे हुए टेण्डर बाक्स में पहुंच जानी चाहिए निविदा दिनांक 21.01.2016 को 2:00 बजे खोली जावेगी।
9. विधि मान्यता: निविदाएं उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
10. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उसे भाड़े (सबलेट) पर नहीं देगा।

१२-३

11. निविदादाता का/उसके प्रतिनिधि की और से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
12. असफल निविदादाताओं को बयाना राशि निविदा स्वीकृत होने के पश्चात शीघ्र वापस कर दी जावेगी।
13. करार एवं प्रतिभूति:—
 - i सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार 500/-रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिस कार्य के लिए निविदाएँ स्वीकार की गयी है। उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से उसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 7 दिवस के भीतर जमा करायी जायेगी।
 - ii निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दिशा में बयाना राशि से कम नहीं होगी।
 - iii प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा।
 - iv प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे:—
 - (क) नगद/बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक/चालान की रसीद प्रति।
 - (ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जावेगा।
 - (ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या अन्य कोई स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू)पर स्वीकार किया जावेगा।
 - v करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क प्रस्तुत की जावेगी।
 - vi प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद, यदि कोई देय बकाया नहीं है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जावेगी।
14. बयाना राशि का समपहरण बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहत कर लिया जायेगा:—
 - i जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है, उसमें उपान्तरण करता है।
 - ii जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हों।
 - iii जब निविदादाता ठेके के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।
 - iv जब तक विहित समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता हो।
15. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण: प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहत कर लिया जावेगा:—
 - i जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

नट-3 3m

- ii जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने के असफल रहा हो।
- iii प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
16. ठेकेदार द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने पर उसे 15 दिवस का नोटिस देकर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।
 17. ठेके की एक वर्ष की अवधि में यदि सुरक्षा कार्य संतोषजनक पाया गया तो, ठेका विभाग विकल्प पर 6 माह के लिए उन्ही दरों पर बढ़ाया जा सकेगा, जिसके लिए संवेदक बाध्य होगा। 6 माह की अवधि के बाद दोनों की सहमति से 6 माह अवधि और बढ़ाई जा सकेगी।
 18. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या अन्य कोई त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार अधीक्षक को होगा।
 19. सरकार द्वारा विहीत सेवा कर(सर्विस टैक्स) एवं अन्य सभी कर आदि ठेकेदार द्वारा ही वहन किए जावेगे।
 20. भुगतान:-भुगतान अग्रिम नहीं किया जायेगा। जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाये, कार्य के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।
 21. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो उसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जावेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
 22. क्रेता अधिकारी/क्रय समिति किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन कार्यों के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को कार्य वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।
 23. यदि निविदा के निर्वचन आशय या निविदा की शर्तों के उल्लेख के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा, जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी को नियुक्त करेगा। यह उप अधिकारी इस निविदा से संबंध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।
 24. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार)द्वारा जयपुर में जिला न्यायालय में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।
 25. ठेकेदार द्वारा संस्था भवन में पूर्ण सुरक्षा रखनी होगी, सुरक्षा की व्यवस्था के लिए अधीक्षक द्वारा दिए गये समस्त आदेशों की पालना ठेकेदार द्वारा की जावेगी। ठेकेदार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था तीन पारियों में 8-8 घंटे सुरक्षा कर्मियों को लगा कर 24 घंटे करवायी जायेगी। महिला विंग के लिये महिला कर्मी तथा मुख्य द्वार पर पुरुष कर्मी से सुरक्षा व्यवस्था का कार्य करवाना होगा।
 26. संस्था परिसर में से किसी भी प्रकार के सामान की चोरी होने पर, कार्यालय सामान के बाहर जाने पर समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी तथा सामान के मूल्य की वसूली संवेदक से की जायेगी।

निदेशक
✓

27. बिना अधीक्षक की अनुमति के आवासी के बाहर निकल जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी तथा संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जिसमें निविदा निरस्त कर धरोहर राशि जप्त कर ब्लेक लिस्टेड किए जाने की भी कार्यवाही होगी।
28. ठेकेदार द्वारा नियुक्त सुरक्षा कर्मियों को नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा। यदि न्यूनतम मजदूरी से कम का भुगतान करने की शिकायत प्राप्त होती है तो ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जायेगी।
29. सुरक्षा कार्य को करते समय यदि किसी सुरक्षा कर्मी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप में अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं उसके लिए मुआवजा आदि देने का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा। विभाग इसके लिए किसी भी प्रकार से मददगार एवं जिम्मेदार नहीं होगा।
30. प्रत्येक माह की निर्धारित तारीख को संवेदक द्वारा दो प्रतियों में बिल प्रस्तुत करने पर बिल कोषालय में प्रस्तुत किया जायेगा। कोषालय द्वारा बिल पारित करने पर भुगतान किया जायेगा।
31. ठेकेदार फर्म को कार्य आदेश दिए जाने के बाद यदि नियमानुसार पी. एफ. तथा ई. एस. आई. देय है तो एक माह में कामिकों के पी. एफ., ई.एस.आई. नम्बर उपलब्ध करवाना होगा। ऐसा नहीं करने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसमें कार्य आदेश निरस्तीकरण भी शामिल होगा।
32. ठेके की अवधि में यदि सुरक्षा कर्मियों द्वारा हड़ताल की जाती है और सुरक्षा कार्य बाधित होता है तो विभाग द्वारा संवेदक के रिस्क व कोस्ट पर, अपने स्तर पर सुरक्षा कार्य अन्य फर्म ठेकेदार से करवा सकेगा। इसमें जो राशि व्यय होगी वह राशि ठेकेदार को देय मासिक बिल की राशि में से अथवा उसके द्वारा जमा कराई गयी प्रतिभूति राशि में से समायोजित कर ली जावेगी।
33. सुरक्षा व्यवस्था में लगे कर्मियों की हाजरी पंजिका संस्था के मुख्य द्वार पर कार्यरत सुरक्षा कर्मी के पास रहेगी। ठेकेदार द्वारा नियुक्ति से पूर्व सुरक्षा कर्मियों के निवास/स्थायी पते का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा एवं अपने कर्मचारियों को पहचान पत्र उनकी फोटो सहित उपलब्ध कराना होगा। बिना पहचान पत्र संस्था में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। सुरक्षा कर्मियों को अधीक्षक द्वारा दिए गये आदेश के अनुसार अपनी ड्रेस पर फर्म का नाम लिखा हुआ अप्रेन पहनना होगा।
34. सुरक्षा कार्य में किसी प्रकार की चूक के लिए अथवा प्राधिकार के लिए विभाग किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा एवं इस बाबत वाद/क्लेम विभाग के उपर दायर नहीं किया जायेगा, फिर भी अगर कोई दायित्व आता है तो ठेकेदार के बिल से कटौती कर ली जायेगी। सुरक्षा कार्य अच्छा नहीं होता है तो अधीक्षक द्वारा गठित निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट पर प्रत्येक निरीक्षण में पायी गयी कमी के लिए 1000/-कम करके बिल का भुगतान किया जायेगा। निर्धारित मात्रा में सुरक्षा कर्मी उपलब्ध नहीं करवाने पर देय भुगतान में नियमानुसार कटौती की जायेगी।
35. सुरक्षा कर्मी न्यूनतम आठवीं उन्नीस योग्यताधारी होना चाहिए।
उपरोक्त सुरक्षा कार्य संबंधी शर्तें, मैंने/हमने पढ़ ली है, ओर यह शर्तें मुझे/हमें स्वीकार्य है।

(हस्ताक्षर निविदादाता)

01/20/24

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/ हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिन मामलों के लिये निविदा दी है उनके लिये हम श्रम विभाग में श्रमिक सप्लाई करने हेतु पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्यादिनांक..... है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/ हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर किया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम व पता

